न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –44 / 2022

अनवान : –

1. कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।

– वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
2. बलराम उर्फ बलवन्त पुत्र रतीराम (फौत)

   2/1. कुलदीप कुमार पुत्र बलराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।

   2/2. संदीप कुमार पुत्र बलराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
3. मोहनलाल पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
4. सहदेव पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र जोशी **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**
श्री अंजनी तिवाडी **अधिवक्ता प्रतिवादी स0 4**

निर्णय दिनांकः –12/11/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 367/66 की कुल 17.8310 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि का काफी वर्षो पूर्व बाहमी बंटवारा कर रखा है मुताबिक बाहमी बंटवारा वादी व प्रतिवादी न0 4 रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 367/66 के ख0न0 500/1 की 8.3470 हैक्ट में से 1/4 हिस्सा दक्षिणी साईड की भूमि ही काश्त करते आ रहे है जिसमें अपने बंटवारा में प्राप्त भूमि में सींव डोल कायम कर रखी है लेकिन विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान काश्त एवं सींव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान तकसीम करवाकर अलग से खाता कायम करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible] किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2/1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब [illegible] पेश किया की वाद भूमि का कोई बाहमी बंटवारा नही हुआ है तथा वाद भूमि उत्तरदातागण अपने हक व हिस्सा अनुसार ही वाद भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ही काश्त करते आ रहे है। वाद भूमि का कब्जा काश्त की बजाय अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता व लगान अलग अलग किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वाद वादी उभयपक्ष की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 367/66 की कुल 17.8310 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 बनवारी पुत्र रतीराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 किशनपुराउतरादा खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, कुलदीप कुमार पुत्र बलराम हि0 1/6 जाति जाट सा0 किशनपुरा उतरादा खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, संदीप कुमार पुत्र बलराम हि0 1/6 जाति जाट सा0 किशनपुरा उतरादा खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, मोहनलाल पुत्र रतीराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 किशनपुरा उतरादा खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर – **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 473 की 4.4260 हैक्ट, ख0न0 500/1 में से 4.609 हैक्ट, ख0न0 501/1 में से 1.7743 हैक्ट, ख0न0 501/2 में से 2.4590 हैक्ट कुल किता 4 कुल योग 13.2683 हैक्ट बारानी प्रथम**

2 कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 किशनपुराउतरादा खातेदार, सहदेव पुत्र चन्दुराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 किशनुपराउतरादा खातेदार– **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 500/1 में से 3.668 हैक्ट, ख0न0 501/1 में से 0.7547 हैक्ट कुल किता 2 कुल योग 4.4227 हैक्ट बारानी प्रथम**

3 गै0मु0 रास्ता– **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 500/1 में से 0.070 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, ख0न0 501/2 में से 0.070 हैक्ट गै0मु0 रास्ता कुल किता 2 कुल योग 0.140 हैक्ट गै0मु0 रास्ता**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 12/11/202[illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:29 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –44/2022

अनवान : –

1. कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।

– वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
2. बलराम उर्फ बलवन्त पुत्र रतीराम (फौत)

   2/1. कुलदीप कुमार पुत्र बलराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।

   2/2. संदीप कुमार पुत्र बलराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
3. मोहनलाल पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
4. सहदेव पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 256 सन 2016 निर्णय दिनांक – 12/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 367/66 की कुल 17.8310 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 बनवारी पुत्र रतीराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 किशनपुराउतरादा खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, कुलदीप कुमार पुत्र बलराम हि0 1/6 जाति जाट सा0 किशनपुरा उतरादा खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, संदीप कुमार पुत्र बलराम हि0 1/6 जाति जाट सा0 किशनपुरा उतरादा खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, मोहनलाल पुत्र रतीराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 किशनपुरा उतरादा खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर – **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 473 की 4.4260 हैक्ट, ख0न0 500/1 में से 4.609 हैक्ट, ख0न0 501/1 में से 1.7743 हैक्ट, ख0न0 501/2 में से 2.4590 हैक्ट कुल किता 4 कुल योग 13.2683 हैक्ट बारानी प्रथम**

2 कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 किशनपुराउतरादा खातेदार, सहदेव पुत्र चन्दुराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 किशनुपराउतरादा खातेदार– **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 500/1 में से 3.668 हैक्ट, ख0न0 501/1 में से 0.7547 हैक्ट कुल किता 2 कुल योग 4.4227 हैक्ट बारानी प्रथम**

3 गै0मु0 रास्ता– **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 500/1 में से 0.070 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, ख0न0 501/2 में से 0.070 हैक्ट गै0मु0 रास्ता कुल किता 2 कुल योग 0.140 हैक्ट गै0मु0 रास्ता**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्से में स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग माना जावे। पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:29 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर